उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
संख्या–2/01/ई–6/2016–17
इलाहाबादः दिनांक 21 फरवरी, 2017

प्रेस विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा स्टाफ नर्स (पुरुष/महिला) परीक्षा, 2017 हेतु विज्ञापन संख्या–ए–1/ई–1/2017, दिनांक 12.01.2017 प्रकाशित किया गया था तथा आवेदन–पत्रों के स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 13.02.2017 निर्धारित थी जिसे शुद्धि–पत्र दिनांक 08.02.2017 द्वारा बढ़ाकर 21.02.2017 किया गया था । मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या –2848(एस.एस)/2017 एवं सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 20.02.2017 के समादर में स्टाफ नर्स (पुरुष) की चयन प्रक्रिया रोक दी गई है एवं उक्त आदेश के समादर में शासनादेश दिनांक 17.09.2008 के अनुक्रम में वे अभ्यर्थी जो चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, उ0प्र0 में संविदा पर स्टाफ नर्स (महिला) के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें आयु सीमा में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) नियमावली, 2016 के नियम–9 के अनुसार निम्नवत् छूट प्रदान की गई है:–

(1) अभ्यर्थियों को 1 जुलाई, 2017 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1977 से पूर्व तथा 1 जुलाई, 1996 के बाद का नहीं होना चाहिए । विकलांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1962 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(2) अधिकतम आयु सीमा में छूट–

(क) उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों तथा उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी । यह छूट केवल उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1972 के पूर्व का नहीं होना चाहिए । इसी प्रकार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति शासनादेश सं. 1648/79–5–2015, दिनांक 19 जून, 2015 के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 राज्य कर्मचारियों की भांति अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को भी शासनादेश सं.–1508/15–08–2015– 3057/2015,दिनांक 16 सितम्बर, 2015 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 05 वर्ष छूट अनुमन्य होगी ।

(ख) उ0प्र0 के समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी।

(ग) उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्प कमीशन प्राप्त अधिकारियों / भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने सेना में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, समूह "ख" हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी परन्तु समूह "ख" के पदों हेतु आरक्षण देय नहीं होगा । स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को उच्च आयु सीमा में कोई छूट अनुमन्य नहीं है।

परन्तु यह और कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 के लागू होने के पश्चात् किए जाने वाले केवल पहले चयन के लिए ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो नियम–10 में विहित वह अर्हता रखते हों जैसा कि वह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–1999 के लागू होने के पूर्व विद्यमान थी और जो बॉण्डेड और प्रशिक्षित है, अधिकतम आयु की सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी सीधी भर्ती के लिए विचार किए जाने हेतु उन्हें अर्ह बनाने के लिए आवश्यक समझी जाय।

परन्तु यह भी कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, उत्तर प्रदेश या चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, उ0प्र0 में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स (महिला) के रूप में कार्यरत हों और जो इस नियमावली के नियम–10 में विहित अर्हताएं धारित करते हों, अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितने वर्ष वे संविदा के आधार पर सेवा में पूर्ण कर चुके हों, जो कि अधिकतम उन पांच वर्षों के अध्यधीन होगी जो सीधी भर्ती के विचारार्थ उन्हें अर्ह बनाने के लिए आवश्यक समझी जाय।

(3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, उ0प्र0 एवं चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, उ0प्र0 में संविदा के आधार पर कार्यरत किसी व्यक्ति को अधिकतम 15 अंकों के अध्यधीन निम्नलिखित रीति में अंक प्रदान किए जाएंगे:–

(एक) संविदा के आधार पर सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए– 03 अंक
(दो) संविदा के आधार पर सेवा के अगले एवं प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए– 03 अंक प्रति वर्ष के लिए

इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। इस प्रयोजन हेतु एक प्रारूप इस विज्ञापन के परिशिष्ट–6 में उपलब्ध है ।

(4) ऐसे अभ्यर्थी जो चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, उ0प्र0 में संविदा पर स्टाफ नर्स (महिला) के पद पर कार्यरत हैं एवं आवेदन–पत्र Submit कर चुके हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे यदि मा. उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 20.02.2017 के समादर में आयु एवं अंकों की छूट चाहते हैं तो वे निर्धारित प्रक्रियानुसार पुनः शुल्क जमा कर ऑनलाइन आवेदन Submit करें एवं नए आवेदन–पत्र के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित हों ।

परीक्षा शुल्क जमा करने की एवं आवेदन–पत्र स्वीकार किए जाने की संशोधित अंतिम तिथियां निम्नवत् हैं:–

परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि–16.03.2017
आवेदन स्वीकार (Submit) किए जाने की अंतिम तिथि–20.03.2017

(अटल कुमार राय)
सचिव